सं0सं0–7 / मलेरिया–23–01 / 2014– 137(7)ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

स्वास्थ्य विभाग के आवंटनादेश संख्या–128(7)ब दिनांक–24.02.2015 में कंडिका–4 में निम्न रूप से जोड़कर शुद्ध रूप तथा कंडिका–4 के बाद कंडिका–5 एवं 6 को जोड़कर शेष कंडिका को क्रमशः आगे बढ़ते क्रम में जोड़कर शुद्ध रूप में पढ़ा जायः–

4. प्राथमिक इकाई मजदूरी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे ।

5. डी0डी0टी0 छिड़काव का सघन अनुश्रवण / पर्यवेक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। दवा छिड़काव का व्यापक प्रचार प्रसार होने के पश्चात निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करेंगे कि छिड़काव जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाय ।

6. विवरणी–।। में कार्यालय व्यय इकाई में आवंटित राशि डी.डी.टी. के लिए रेलवे भाड़ा परिवहन एवं भंडारण हेतु गया को संलग्न सूची के अनुसार आवंटन दिया गया है, जिसकी निकासी संबंधित जिला पदाधिकारी ही मजदूरी इकाई की तरह पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार करेंगे एवं राशि का व्यय इसी विनिदिष्ट कार्य के लिए सुनिश्चित करेंगे ।

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

उक्त आवंटनादेश की अन्य बाते यथावत रहेंगी ।

Sd/- 12/3/15
(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 137(7)ब पटना, दिनांक : 13-03-15

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 12/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव